अन्तिम डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 1/256/2023 दायर दिनांकः— 20/09/2023

जीसीएमएस नं0:— 2023/563 निर्णय दिनांकः— 18/11/2025

बउनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप जाति माली निवासी गारू तह0 कठूमर जिला अलवर।

——— वादी

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र रामस्वरूप जाति माली निवासी गारू तहसील कठूमर जिला अलवर।
2. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर।

—— प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः—1.श्री सतीशचन्द शर्मा —अधिवक्ता वादी
2.श्री राधावल्लभ शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सं01

—:निर्णयः—

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 2239, रकबा 0.66 हैक्ट0 2240 रकबा 0.54 हैक्ट0, 2241 रकबा 0.72 हैक्ट0, 2249 रकबा 0.27 हैक्ट0, 2254 रकबा 0.68 हैक्ट0 वाके ग्राम गारू तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा व शेष हिस्सा प्रतिवादी के शामलात कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। लगान सरकारी शामलात में अदा कर रहे है। अब पक्षकारान के मध्य शामलात काश्त करने में आपस में झगडे होते रहते है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में शामलात में काश्त करने में रूचि नहीं लेते

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

के मध्य आराजी मे रास्ता कायम किया जावे ।

है। इस वजह से फसल कम पैदा होती है। वादीगण विवादित आराजी का कानूनी तकासमा करना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है, जो विवादित आराजी मे वादी के 1/2 हिस्सा के कब्जे काश्त मे बाधा पैदा करते है, एवं झगडा करते है। बिना तकासमा कराये दीगर लोगो को रहन बय करना चाहते है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी का अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी आराजी तकासमा कराने प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 06.10.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 हाजिर अदालत होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 जवाब पेश नहीं करना चाहाते उनका जवाब बन्द किया गया। पत्रावली पर तनकीयात कायम की गई। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2076–79 वाके ग्राम गारू सत्य प्रतिलिपी पेश की है, वादी के द्वारा हाजिर अदालत होकर साक्ष्य हेतु स्वयं के शपत्र पेश किये गये प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं करना चहाते है उनके साक्ष्य प्रति बन्द किये गये एवं उनके अधिवक्ता द्वारा दावा को प्रारम्भिक रूप से डिकी किये जाने का निवेदन किया गया जिस पर प्रतिवादी अधिवक्त द्वारा कोई ऐतराज नहीं जताया गया दावा को प्रारम्भिक रूप से डिकी किये जाने पर सहमती दी गई। दावा वादी प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाने पर तहसीलदार कठूमर को विवादित आराजी का पक्षकारान की मौजूदगी में कानूनी तकासमा कर विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अदालत हाजा में पेश करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार कठूमर ने आदेश की पालना मे विवादित आराजी वावत कुरेजात रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर हाजिर अदालत होकर दिनांक 03.07.2025 को पेश की है जो शामिल पत्रावली है। जिस कुर्रेजात रिपोर्ट पर वादी के अधिवक्ता द्वारा वादी की ओर से कुर्रेजात ऐतराज का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस प्रार्थना पत्र कुर्रेजात ऐतराज पर बहस वकुलाय सुनी गयी जो साबित ना होने पर दिनांक 18.011.2025 को खारिज किया गया।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत तहसीलदार कठूमर की कुर्रेजात रिपोर्ट तथा राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया व बहस वकुलाय सुनी गई। तहसीलदार कठूमर ने अपनी कुर्रेजात रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 2239/1 रकबा 0.33 है0 तरफ पूर्व, 2240/1 रकबा 0.27 है0 तरफ पूर्व, 2241/1 तरफ रकबा 0.36 है0 तरफ पूर्व, 2249/1 रकबा 0.1350 है0 तरफ उत्तर, 2254/1 रकबा 0.34 है0 तरफ पूर्व में वादी ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूपा जाति माली सा0 देह खातेदार एवं आराजी खसरा नम्बर 2239/2 रकबा 0.33 है0 तरफ पश्चिम, 2240/2 रकबा 0.27 है0 तरफ

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

पश्चिम, 2241/2 रकबा 0.36 है0 तरफ पश्चिम, 2249/2 रकबा 0.1350 है0 तरफ दक्षिण, 2254/2 रकबा 0.34 है0 तरफ पश्चिम, प्रतिवादी प्रभूदयाल पुत्र रामस्वरूप जाति माली सा0 देह खातेदार वाके ग्राम गारू तहसील कठूमर जिला अलवर को तकसीम में दिया है। अतः मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर वाद वादी अंतिम रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः दावा वादी मुताविक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2239/1 रकबा 0.33 है0 तरफ पूर्व, 2240/1 रकबा 0.27 है0 तरफ पूर्व, 2241/1 तरफ रकबा 0.36 है0 तरफ पूर्व, 2249/1 रकबा 0.1350 है0 तरफ उत्तर, 2254/1 रकबा 0.34 है0 तरफ पूर्व में वादी ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूपा जाति माली सा0 देह खातेदार एवं आराजी खसरा नम्बर 2239/2 रकबा 0.33 है0 तरफ पश्चिम, 2240/2 रकबा 0.27 है0 तरफ पश्चिम, 2241/2 रकबा 0.36 है0 तरफ पश्चिम, 2249/2 रकबा 0.1350 है0 तरफ दक्षिण, 2254/2 रकबा 0.34 है0 तरफ पश्चिम, प्रतिवादी प्रभूदयाल पुत्र रामस्वरूप जाति माली सा0 देह खातेदार वाके ग्राम गारू तहसील कठूमर जिला अलवर को आदेश दिये जाते है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी बावत अलग अलग खाता कायम करें। तहसीलदार कठूमर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।सुनाया।

आज दिनांक 18.11.2025 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)